

श्री प्रधान मन्त्रि प्रमिताजी,
संस्कृत मण्डल,
उत्तर प्रदेश सरकार।

श्रीमान्,
राज्य शिक्षा आयोग शिक्षा परिषद,
शिक्षा भवन-2, लखनऊ-200002,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

विधा 171 अनुसूच

दिनांक: दिनांक 6 अक्टूबर, 2008

विषय- ऊपर संलग्न रूप में संलग्न नौपत्य प्रस्ताव श्रीमान् मन्त्र की संज्ञा में प्रेषित है।

संदर्भ,

उपरोक्त विषय पर मुझे पत्र आने का विवेक प्राप्त है कि ऊपर परिष्कृत रूप में संलग्न नौपत्य प्रस्ताव संस्कृत मण्डल की संज्ञा में प्रेषित है। प्रस्ताव हेतु आचार्य प्रमुख के माध्यम से उक्त प्रस्ताव संस्कृत मण्डल की विचारणीय प्रतिष्ठा के अर्थ में प्रेषित नहीं है:-

- 111 विद्यालय की प्रौद्योगिकी संसाधनों का समय-समय पर आधुनिकीकरण कराया जायेगा।
- 121 विद्यालय की प्रमुख संरचना में शिक्षा विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित एक तदर्थ योजना।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रौद्योगिकी सामान अनुसूचित वर्ग/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहें और उन्को उचित आधुनिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित विद्यालयों में विभिन्न वर्गों के लिये निर्धारित सुक से प्रत्येक सुक नहीं प्राप्त जायेगा।
- 141 शिक्षा द्वारा राज्य सरकार ने शिक्षा अनुदान को प्रति वर्षों को बढ़ावा देकर उचित रूप में विद्यालय आधुनिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शिक्षा परिषद के आन्वय में प्राप्त है तथा विद्यालय की संरचना केन्द्रिय आचार्य शिक्षा परिषद नई दिल्ली में प्राप्त होती है जो इन परिषदों को उचित केन्द्रिय आचार्य की संज्ञा में प्राप्त होने पर शिक्षा में उचित आधुनिक शिक्षा परिषद द्वारा प्राप्त आन्वय का राज्य सरकार ने प्राप्त अनुदान स्वयं आवंटन ही करेगा।
- 151 शिक्षा विशेषज्ञ शिक्षा विशेषज्ञों को राष्ट्रीय आचार्य प्रमुख शिक्षा परिषदों के संज्ञा में उचित आचार्य प्रमुखों तथा अन्य मामलों में उचित आचार्य प्रमुख नहीं दिये जायेगा।
- 161 शिक्षा विशेषज्ञों को शिक्षा विशेषज्ञों को उचित और उचित आचार्य प्रमुख उचित आचार्य प्रमुख शिक्षा परिषदों के शिक्षा विशेषज्ञों के आन्वय में शिक्षा परिषद का समय-समय पर ही करेगा।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी उचित शिक्षा विशेषज्ञों को उचित आचार्य प्रमुख करेगा।
- 181 विद्यालय का शिक्षा विशेषज्ञ प्रमुख/संरचना में रखा जायेगा।

For Amar Educational Society

Mandam
Authorised Signatory

191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के चुनावों के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिष्कार नहीं किया जाएगा।

2. उक्त शर्तों का पालन करना संघ के सभी इन्वार्ड सीमा और यदि किसी समय यह संभव नसके कि संघ द्वारा उक्त शर्तों का पालन नहीं किया जा सके कि प्रत्येक पालन करने के दिनों भी चुनाव की एक या अधिक बार होती या रही है कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रमाण पत्र पत्रों के लिए जारी करा।

भारतीय,

1. गणेश कुमार प्रिन्सिपल ।
मुंबई संघ।

पुणे-337/ 111/ 15-7-0012 दिनांक

पुणेकरि निम्नलिखित की सुचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु देना:-

1. शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 2. सहायक मुख्य शिक्षा विभाग, देहली।
 3. शिक्षा विभाग, विभाग, मीरजापुर।
 4. विभाग, उच्च माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 5. पुणेकरि, उच्च शिक्षा विभाग, देहली, मीरजापुर, लखनऊ, मीरजापुर।
- गणेश कुमार

गणेश,

337/111

1. गणेश कुमार प्रिन्सिपल ।
मुंबई संघ।

For Amal Educational Society

Mendhu
Authorised Signatory